न्यायालय, सब जज–तृतीय, डुमरॉव, बक्सर।

टी0 एस0–374 / 2011

11.12.2023

उभय पक्ष की पैरवी है। प्रस्तुत वाद वादी के तरफ से शपथ पत्र के साथ दिए गए आवेदन दिनांक–19.09.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व दफा 151 एवं धारा 5 लिमिटेशन एक्ट विलंब माफी हेतु एवं उक्त आवेदन के आलोक में प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक–03.11.2023 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई उपरांत आदेश हेतु नियत है।

आदेश

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिववक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिवादी सं0–6 मनकिया देवी की मृत्यु दिनांक–30.12.2022 को ग्राम एवं पोस्ट गंगौली हो गई है। वादीगण वो प्रतिवादीगण अलग–अलग गॉव में निवास करते हैं इसलिए प्रतिवादी सं0–6 की मृत्यु की जानकारी वादीगण को समय सीमा के अंतर्गत नहीं हो सकी है। विलंब माफी आवेदन धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत किया गया है। वादीगण द्वारा प्रतिस्थापन आवेदन जान बूझकर विलंब से दाखिल नहीं किया गया है जो भी हुआ है जानकारी के अभाव में हुआ है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0–6 का नाम अर्जी से जलमजद कर उनके जगह उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने का प्रार्थना किया है।

प्रतिवादी के तरफ से दाखिल प्रतिउत्तर आवेदन में उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मुदईयान का सवाल कानून एवं तथ्य की दृष्टि से मेंटेनेबुल नहीं है। मुदईयान का सवाल का तमादी है मुदईयान ने जान बूझकर समय–सीमा के अंदर प्रतिस्थापन का सवाल दाखिल नहीं किए है। प्रतिस्थापन आवेदन के साथ डिले करने का सवाल दिया गया हे न तो स्पोटेड वार्ड कंडोन अफिडेविट है जिससे खारिज होने योग्य है। अतः विद्वान अधिवक्ता वादी के आवेदन को खर्चा के साथ खारिज करने की प्रार्थना करते हैं। मुदालेह सं0–6 के मृत्यु की जानकारी मुदईयान को मृत्यु के दिन ही हो गई वो उनके दाह संस्कार में सरीक हुए वो श्राद्ध में भी उपस्थित होकर नेवता दिये है। जिससे उपरोक्त मुकदमा

उपसमित होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त मुदईयान का प्रतिस्थापन आवेदन खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी का आवेदन समय–सीमा के अन्दर नहीं है। वादी द्वारा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट विलंब माफी हेतु आवेदन दाखिल किया गया है उसमें न्यायालय कोई बल नहीं पाता है। वाद का सही न्याय निर्णयन हेतु मृत पक्षकार का नाम विलोपित करना एवं उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में वादी का आवेदन दिनांक– 19.09.2023 को 500/– खर्चा के साथ जो प्रतिवादी को देय होगा स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय लिपिक नियमानुसार मृत मुदालेह का नाम विलोपित कर उनके जगह पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करे।

वाद दिनांक–.....वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज–तृतीय